

Form No. III**फर्द—अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़मुकाम **चित्तौड़गढ़****संजय कुमार जैन**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक रावतभाटा
जिला चित्तौड़गढ़**कार्यवाही अन्तर्गत :-****धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं० **078** सन् **2025**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.09.2025	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी संजय कुमार जैन पिता मिश्रीलाल जैन निवासी गोढी भवन वार्ड नंबर 8 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 7424881275) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के जिले के विभिन्न लोक सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2025 के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि विहित समयवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा तहत जिले के विभिन्न लोक सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है एवं तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां नियमानुसार मय वांछित दस्तावेजात के अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इब्दाज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।</p>	



-S/D-
(आलोक रंजन)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
24.09.2025